



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012026-269577
CG-DL-E-24012026-269577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]
No. 339]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2026/माघ 3, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2026/MAGHA 3, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2026

का.आ. 367(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी दूरसंचार उपकरण के लिए निम्नलिखित पुनरिक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्रम संख्या	पुनरिक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 87080:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ स्प्लाईस क्लोज़र फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स

2.	टी ई सी 66130:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ दूरसंचार स्थलों की लाइटनिंग एवं सर्ज सुरक्षा
3.	टी ई सी 66110:2025 वर्गीय अपेक्षाएँ एसएमपीएस आधारित पावर प्लांट्स

[फा. सं. 24-03/2025-एसडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunication)
(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2026

S.O. 367(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunication Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: -

Sl. No.	Number and name of revised standards
(1)	(2)
1.	TEC 87080:2025 Standard for Generic Requirements Splice Closure for Optical Fibre Cables
2.	TEC 66130:2025 Standard for Generic Requirements Lightning and Surge Protection of Telecom Sites
3.	TEC 66110:2025 Standard for Generic Requirements SMPS Based Power Plants

[F. No. 24-03/2025-SD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General